न्यायालय–विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ0 नि0) अधिनियम, जौनपुर।

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या–76/2026

पंजीकरण सं0–449/2026

1. आशीष चौबे पुत्र शितला प्रसाद चौबे

2. जयेश चौबे पुत्र आशीष चौबे

निवासीगण दुल्हेपुर, थाना जाफराबाद, जिला जौनपुर।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मु0अ0सं0–267/2024

धारा–352, 351(3) बी0एन0एस0 एवं धारा 3 (2) (Vक) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट।

थाना–जाफराबाद, जिला–जौनपुर।

दिनांक–07.03.2026

अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय के आदेश दिनांकित 27.02.2026 के अनुक्रम में आज न्यायालय में आत्मसमर्पण किया गया। अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया।

अभियुक्तगण की ओर से उपरोक्त प्रकरण में जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ। जमानत प्रार्थना पत्र इन आधारों पर दाखिल किया गया है कि आवेदकगण निर्दोष हैं। उन्होने कोई अपराध नहीं किया है। आवेदकगण को मात्र परेशान करने की नीयत से यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। वादी पक्ष एवं उसके साथियों द्वारा आवेदकगण को मारपीट कर काफी चोटें पहुंचायी गयी थी, जिसके बचाव में यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। आवेदकगण का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है, कोई अन्य जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है। आवेदकगण जमानत पर छूटने के बाद जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। आवेदकगण जमानत देने को तैयार है। जमानत पर छोड़े जाने की याचना की गयी।

संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी मुकदमा लालजी पासी द्वारा न्यायालय में प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 173(4) बी0एन0एस0एस0 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वह अनुसूचित जाति का है, और मुल्जिमान सवर्ण जाति के हैं। दिनांक 01.11.2024 को समय करीब 8 बजे रात मुल्जिमान आशीष चौबे आदि योजनाबद्ध ढंग से रास्ते के विवाद की रंजिश को लेकर उसके लड़के नवल कुमार को भद्दी–भद्दी गालियां व जातिसूचक शब्दों का उच्चारण करते हुए लाठी डण्डा लेकर उसे मारे–पीटे। जब उसका लड़का जान बचाकर अपने घर में घुस गया तो घर में घुसकर भी उसे मारे–पीटे। जब गांव के लोग बीच बचाव करने पहुंचे तो मुल्जिमान जान से मारने की धमकी देते हुए चले गये। वादी मुकदमा के उक्त प्रार्थनापत्र पर न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में थाना पर अभियुक्तगण आशीष चौबे एवं अन्य के विरुद्ध मु0अ0सं0 267/2024 अंतर्गत धारा 191(2), 191(3), 115(2), 352, 351(3), 333, 131 बी0एन0एस0 एवं धारा 3 (2) (Vक) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का अभियोग दर्ज किया गया। बाद विवेचना अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 352, 351(3) बी0एन0एस0 एवं धारा 3 (2) (Vक) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

अभियोजन पक्ष को वादी मुकदमा को सूचना देने एवं अभियुक्तगण के आपराधिक इतिहास हेतु समय प्रदान किया गया है। वादी मुकदमा को तामीला प्राप्त है, वादी मुकदमा उपस्थित है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता, विद्वान विशेष लोक अभियोजक एवं वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता के विद्वतापूर्ण तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

Digitally signed by RANJEET KUMAR
Date: 2026.03.07 16:45:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया है कि वह निर्दोष है, उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा मात्र परेशान करने की गरज से यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया गया है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने की याचना की गई है।

विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा कहा गया कि अभियुक्तगण द्वारा सहअभियुक्तों के साथ मिलकर विधिविरूद्ध जमाव के अग्रसरण में वादी मुकदमा के लड़के को भद्दी–भद्दी गाली–गलौज, जान से मारने की धमकी दिये जाने व जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर अपमानित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

वादी मुकदमा के विद्वान अधिवक्ता द्वारा लिखित आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्तगण आपराधिक प्रवृत्ति के है, जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जावे।

पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट अनुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा के लड़के के साथ गाली गलौज दिया जाना, जान से मारने की धमकी दिया जाना तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया जाना कहा गया है। मामले की विवेचना सम्पादित की जा चुकी है और आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। दौरान विवेचना अभियुक्तगण को गिरफ्तार नहीं किया गया है और अभियुक्तगण पर धारा 35(3) बी0एन0एस0एस0 की नोटिस तामील कराई गई है। अभियोजन का ऐसा कोई कथन नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा विवेचना में सहयोग न किये गये हो। अभियुक्त आज की तिथि तक अन्तरिम जमानत पर था। थाने से आख्या प्राप्त है। थाना आख्यानुसार अभियुक्त का एक अन्य मुकदमें मु0अ0सं0 229/2024, धारा 115(2), 352 बी0एन0एस0 एवं धारा 3 (2) (v क) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट का आपराधिक इतिहास है, परन्तु अभियोजन का ऐसा कोई कथन नहीं है कि अभियुक्त को उक्त मामले में दोषसिद्ध किया गया हो। अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध अधिकतम 7 वर्ष से कम के कारावास से दण्डनीय है। अतः मामले के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तगण की जमानत का आधार पर्याप्त है। जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अभियुक्तगण प्रत्येक द्वारा मु0 25,000/–रूपये का स्वबंधपत्र व समान धनराशि का एक–एक विश्वसनीय प्रतिभू दाखिल करने पर उन्हें निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है–

1. आवेदकगण/अभियुक्तगण नियत तिथियों पर स्वयं/जरिये अधिवक्ता न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा एवं विचारण में पूर्ण सहयोग करेंगे।
2. आवेदकगण/अभियुक्तगण मामले के साक्षी/साक्ष्य को किसी प्रकार से प्रभावित नहीं करेंगे।
3. आवेदकगण/अभियुक्तगण जमानत के दौरान किसी भी आपराधिक गतिविधि में संलिप्त नहीं होंगे।

(रणजीत कुमार)
विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति और अनुसूचित
जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, जौनपुर।
जे0ओ0 कोड– यू0पी0 6509